संख्या-1/2019/आ0मि0-04/96-आयुष-2-2019-39/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवाएं ,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2019

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-268/57/सी/मि0नि0/2017-18, दिनांक 25-7-2018, पत्र संख्या-415/57/डी/मि0नि0/2018-19, दिनांक 17-9-2018 एवं पत्र संख्या-551/57/डी/मि0नि0/2018-19, दिनांक 31-10-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त अवशेष राज्यांश रू0 42.00 लाख (रूपया बयालिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-:

1- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-14012/25/2017-एच एण्ड डी सेल, दिनॉक 07-5-2018 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

2- स्वीकृत धनराशि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी। किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नही किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0 खाते में नही रखा जायेगा।

5- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आयुष मिशन के दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णत: पालन किया जायेगा।

6- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्धिरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृस्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- प्रस्तावित कार्यो को समय से कराये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथास्थिति अवशेष धनराशि के समायोजन का उत्तरदायित्व राज्य आयुष सोसाइटी, उत्तर प्रदेश का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक सपठित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-3-2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) के शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनॉक 20.11.2017 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-33 के लेखा शीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103-आयुर्वेद-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन (के0-60/रा0-40-के0+रा0)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-2517/दस-2018, दिनॉक 09-01-2019 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-1/2019/आ0मि0-04(1)/96-आयुष-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in